न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :

श्री अजय कुमार आर्य,
आर.ए.एस

अपील संख्या 130/2025

प्यारेलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

–अपीलान्ट–

बनाम

अमरसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम काकोड़ा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

–रेस्पोडेन्ट–

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांकित 01.10.2025 मुकदमा उनवानी प्यारेलाल बनाम अमरसिंह वगेरह अ.धा 251 राज. काश्त अधि.

1. श्री राजेश पुनियॉ, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अमित कुमार शर्मा अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जमीन हाल ख. नं. 244 रकबा 1.57 हेक्टर, ख. नं. 245 रकबा 0.10 हैक्टर, ख. नं.247 रकबा 0.11 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम काकोड़ा तह तहसील सुरजगढ में स्थित है। उक्त जमीन में आने जाने का कदीमी रास्ता रेस्पोडेन्ट ने ख. नं. 239 वाके काकोड़ा की जमीन में अवरूद्ध कर दिया इस कारण रास्ता खुलवाने के लिये अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने धारा 251 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सुनकर दिनांक 01/10/2025 को गलत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस आलौच्य निर्णय के विरूद्व मौजुदा अपील इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आलीच्य निर्णय दिनांक 01/10/2025 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने का आधार गलत दर्ज किया है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि काकोड़ा से अगवाना खुर्द जानी वाली डामर सड़क पर ख. नं. 244 होने से अपीलान्ट/आवेदक का सुखाचार प्रभावित नहीं होता। उक्त सड़क से अगर अपीलान्ट अपने खेत में आना जाना करे तो करीब 5 किलोमीटर की दूरी लगती है जबकि अपीलान्ट का प्रकरण यह था कि उनके खेत का चालू रास्ता रेस्पोडेन्ट ने बन्द कर दिया। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ की जांच रिपोर्ट दिनांक 14/07/2025 में लिखा है कि ख. नं. 239 की उतरी सीमा के सहारे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

सहारे ख. नं. 247 की पश्चिम सीमा के सहारे एवं ख. नं.1027/247 की सीमा तक पूर्व में रास्ता चालू बताया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने उच्च अधिकारी की जांच रिपोर्ट को गलत रूप से नजर अंदाज कर गलत निर्णय पारित किया है जो खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की उक्त जमीन पैत्रिक है तथा पहले शामलाती थी। उक्त जमीन के बंटवारा बाबत पूर्व में वादपत्र उनवानी मेहरचन्द बनाम जीताराम मु. नं. 25/1990 निर्णय दिनांक 22/03/1993 में जमाने के हिसाब से रास्ता दर्ज नहीं हो सका जबकि शपथ पत्र दिनांक 05/07/1989 में सरपंच व मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में शपथ पत्र में रास्ता दर्ज रहने व कायम रहने की स्वीकृति रही है। उत अपील स्वीकार कर आलौच्य निर्णय दिनांक 01.10.2025 खारीज कर अपीलान्ट का धारा 251 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता खोलने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रास्ता पुर्व में चालु था। अपीलान्ट वकील ने अवगल करवाया कि रास्ते की पुरानी लिखा पढ़ी पहले से की हुई है और कदीमी रास्ता भी चालु बताया था। पटवार हल्का काकोड़ा की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 के अनुसार खसरा न 239 के खातेदार अरमसिंह पुत्र चन्दाराम द्वारा हीरों से बाढ लगाकर रास्ता आने जाने से बाधित कर रखा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नही है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में लिखा है कि काकोड़ा से अगवाना खुर्द जानी वाली डामर सड़क पर ख. नं. 244 होने से अपीलान्ट/आवेदक का सुखाचार प्रभावित नहीं होता। उक्त सड़क से अगर अपीलान्ट अपने खेत में आना जाना करे तो करीब 5 किलोमीटर की दूरी लगती है जबकि अपीलान्ट का प्रकरण यह था कि उनके खेत का चालू रास्ता रेस्पोडेन्ट ने बन्द कर दिया। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ की जांच रिपोर्ट दिनांक 14/07/2025 में लिखा है कि ख. नं. 239 की उतरी सीमा के सहारे सहारे ख. नं. 247 की पश्चिम सीमा के सहारे एवं ख. नं. 1027/247 की सीमा तक पूर्व में रास्ता चालू बताया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने उच्च अधिकारी की जांच रिपोर्ट को गलत रूप से नजर अंदाज कर गलत निर्णय पारित किया है जो खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की उक्त जमीन पैत्रिक है तथा पहले शामलाती थी। उक्त जमीन के बंटवारा बाबत पूर्व में वादपत्र उनवानी मेहरचन्द बनाम जीताराम मु. नं. 25/1990 निर्णय दिनांक 22/03/1993 में जमाने के हिसाब से रास्ता दर्ज नहीं हो सका जबकि शपथ पत्र दिनांक 05/07/1989 में सरपंच व मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में शपथ पत्र में रास्ता दर्ज रहने व कायम रहने की स्वीकृति रही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर का 1993 में खाता विभाजन पूर्व में ही हो चुका है। पटवार हल्का काकोड़ा की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 के द्वारा अवगत करवाया है कि खसरा न 239 की उतरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी सीमा तक रास्ता चालू है।

हमने बहस वकील उभयपक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा की अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की उक्त जमीन पैतृक है तथा पहले शामलाती थी। उक्त जमीन के बंटवारा बाबत पूर्व में वादपत्र उनवानी मेहरचन्द बनाम जीताराम मु. नं. 25/1990 निर्णय दिनांक 22/03/1993 में जमाने के हिसाब से रास्ता दर्ज नहीं हो सका जबकि शपथ पत्र दिनांक 05/07/1989 में सरपंच व मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में शपथ पत्र में रास्ता दर्ज रहने व कायम रहने की स्वीकृति रही है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा संख्या 03/2025 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत उभय पक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौका देखकर मौके की स्थिति अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय कि आदेशप्रति सहित लोटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विधिसम्मत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूंक

Scanned with CamScanner